

25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री भवानी सिंह पुत्र श्री बन्ने सिंह निवासी महासिंह का बास शिव मन्दिर के पास तह. विराट नगर जिला जयपुर, मैसर्स- श्री विनायक पनीर सेन्टर, भील तिराहा रामेश्वर मार्केट रींगस जिला सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.10.2018 को समय 2:10 पी.एम. पर रींगस सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरीक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स श्री विनायक पनीर सेन्टर, में अप्रार्थी द्वारा पनीर का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता को मैंने अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होंने बताया। भवानी सिंह से वर्ष 2018 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2018 होना बताया व दिखाया।

फर्म पर श्री भवानी सिंह द्वारा पनीर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध पनीर के 10 किग्रा स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच पनीर 1 किलो खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री भवानी सिंह को 2200 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ-1301 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से वाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रु का आर्थिक जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि हैड 0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फॉरवर्ड शूमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार)

अति जिम्बाईलावर,
सीकर